

कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक : प. डीएलएसए/स्थापना/संविदा/2024-2025/203

दिनांक 20.07.24

एस.आर.प्राचप-14

खुली बोली आमंत्रण सूचना 01/2024-2025

[RTPP नियम-2013 का नियम-43(1) व (2) सपठित 43(5)]

(N.I.B No. L.S.A.2.4.2.S.A.O.2.2.)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा द्वारा राजस्थान सरकार के विधि (Gr-2) विभाग की आज्ञा संख्या पं.08(01) विधि-2 विरसं(115)/2023 दिनांक 24.08.2024 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कम्प्यूटर मशीन विद मैन की संविदा सेवाए लेने की स्वीकृति के अध्यक्षीन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-7(23)रालसा/संस्था/एनएलए पत्राचार/2024/451 दिनांक 04.07.2024 से आवंटित कुल 04 कम्प्यूटर मशीन विद मैन की संविदा सेवाए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 व 14.11.2018 तथा RTPP अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार प्राप्त करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में शेष अवधि 31.03.2025 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा में कुल 04 कम्प्यूटर मशीन विद मैन दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु, विनिर्दिष्ट पंजीकरण सेवा प्रदाता/संबेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं अनुमूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवा कर (GST), आयकर (पेन नंबर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो, द्विभाग बोली [तकनीकी-बिड व वित्तीय/(प्राईस) बिड] निम्नांकित विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित वार्षिक मूल्य	बोली प्रतिभूति 2%	बिड (बोली) प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि	निविदा विकय/ डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	बोली प्रस्तुत की अंतिम तिथि पत्र व समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर मशीन विद मैन कार्यस्थल कोटा	उच्च कुशल श्रमिक (चार)	4,50,000/-	9000/-	1000/-	वित्तीय वर्ष 2024-25के लिए शेष अवधि 31.03.2025 तक	SPPP फोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 20 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 को 11:00 A.M बजे तक	बोली प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2024 स समय दोपहर 01:00 P.M बजे तक	तकनीकी बोली खोलने की तिथि 30 जुलाई 2024 व समय 01:30 P.M वित्तीय बोली पान बोलीदाताओं को कम्प्यूटर सूचनानुसार

लगातार.....

शर्तें:-

1. बोली विहित प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी जिसे कार्यालय से नकद 1000/- रुपये भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संदाय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के पक्ष में बैंकर चैक/ डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकेगा। इस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो बोलियां विहित प्रारूप से प्रस्तुत नहीं की जावेगी, वह नामंजूर करने योग्य होगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत फर्मों को ही बोली प्रपत्र विक्रय किए जावेंगे।
2. उद्यत की गयी दरें अनुमोदन की तिथि से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में तथा 31.03.2025 तक विधिमान्य होगी।
3. बोली प्रतिभूति राशि 9000/- का बैंकर्स चैक/डी.डी. "सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा" के नाम से पक्ष में देय होगा।
4. बोली प्रपत्र मूल्य एवं निविदा प्रतिभूति राशि जमा/संलग्न नहीं होने पर बोली पर विचार नहीं किया जावेगा तथापि बोली निष्प्रभावी मानी जावेगी।
5. बोली आमंत्रण सूचना व विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय बेवसाईट <http://www.districts.ecourts.gov.in/kota> व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र उपापन संस्था के कार्यालय से बोली शुल्क नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है या साइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. बोली (तकनीकी बिड) दिनांक 30 जुलाई 2024 को 01:30 P.M बजे उपस्थित सेवाप्रदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जाएगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि यथा समय पात्र बोलीदाताओं को सूचित कर दी जावेगी।
7. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
8. वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिषत्र कमांक एफ 2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जा जावेगा।
9. तकनीकी निविदा में सफल निविदाताओं की वित्तीय बिड खोली जावेगी अथवा तकनीकी बोली में पात्र संदेवकों को वित्तीय बोली खोलने की तिथि यथा समय सूचित कर उपापन समिति द्वारा नियत/निर्धारित तिथि पर खोली जावेगी।
10. यदि नियमों के अंतर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह वचन पत्र प्रस्तुत कर बोली में भाग ले सकते हैं। सफल बोलीदाता को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम व श्रमिक अनुबंध नियम 1970, संशोधित अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण करना आवश्यक होगा तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति उपापन संस्था को उपलब्ध कराई जावेगी।

अध्यक्ष, 20/7/2024


उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा

लगातार....

क्रमांक : प. डीएलएसए / स्थापना / संविदा / 2024-2025 / 6658-6675 दिनांक : 20.07.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. माननीय सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को उनसे प्राप्त पत्र क्रमांक आदेश क्रमांक एफ-7(23)रालसा/संस्था/एनएलए पत्राचार/2024/451 दिनांक 04.07.2024 के अनुसरण में।
2. निदेशक, निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (सचिवालय परिसर, जयपुर)
3. कम्प्यूटर प्रभारी को उक्त बोली सूचना विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं बोली शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट <http://sppn.rajasthan.gov.in> पर एवं जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाइट <http://www.districts.ecourts.gov.in/kota> पर अवलम्ब प्रकाशित कर पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) कोटा को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करावाने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी/नगर विकास न्यास/नगर निगम/सूचना एवं जन संपर्क विभाग कोटा।
6. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा।
7. नोटिस बोर्ड, अधीनस्थ न्यायालय/तालुका विधिक सेवा समिति - रामगंजमण्डी, इटावा, सांगोद, कनवास, दीगोद, कोटा।
8. रोकड़िया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा को बोली प्रपत्रों का निर्धारित तिथि तक विक्रय कर, प्राप्त राशि सुसंगत लेखाशीर्षक-0075-800-(52)-1011-00 के अंतर्गत राजकोष में जमा करवाने हेतु।


20/7/2024

अध्यक्ष,
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा